

परियोजना का नाम:- कूल-बिरखन से सूड़ होते हुए प्यूड़ा इण्टर कालेज तक मोटर मार्ग
निर्माण हेतु समेकित वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन न होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कूल-बिरखन से सूड़ होते हुए प्यूड़ा इण्टर कालेज तक मोटर मार्ग निर्माण परियोजना में वन संरक्षक अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
नैनीताल

अधिसूची अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
नैनीताल